राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

बिजनेस स्टैण्डर्ड, (14 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31.03.2019 से आगे 3 साल और बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) की स्थापना वर्ष 1993 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार प्रारम्भ में 31.03.1997 तक की अवधि के लिए की गई थी।
- कालांतर में इस अधिनियम की वैधता 31.03.2002 तक और उसके पश्चात् 29.02.2004 तक बढ़ाई गई थी।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को 29.02.2004 में समाप्त हो जाना था। इसके बाद राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
- वर्तमान आयोग का कार्यकाल 31.03.2019 तक है।

प्रभाव

- इस प्रस्ताव से सफाई कर्मचारी और हाथ से सफाई करने के काम में संलग्न व्यक्ति मुख्य लाभार्थी होंगे क्योंकि NCSK उनके कल्याण और उत्थान के लिए कार्य करेगा।

साख से संबद्ध पूंजी सब्सिडी एवं तकनीक उत्क्रमण योजना

बिजनेस स्टैण्डर्ड, (14 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने घोषणा की है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बनाई गई साख से सम्बद्ध पूँजी सब्सिडी एवं तकनीक उत्क्रमण योजना बारहवीं योजना की अवधि के आगे भी तीन वर्षों (2017-18 से 2019-2020) तक चलती रहेगी।
- इस योजना के लिए 2,900 करोड़ रु. की बजटीय व्यवस्था होगी।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाइयों को 15% पूँजी सब्सिडी (1 करोड़ रु. तक के सांस्थिक वित्त पर) देकर उन्हें 51 विशेष रूप से निर्दिष्ट उप-प्रक्षेत्रों/उत्पादों में उन्नत तकनीक के प्रयोग के लिए सुविधा प्रदान करना है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यम के संयंत्रों और मशीनरी को नवीनतम तकनीक से युक्त बनाना है।
- जो सूक्ष्म और लघु उद्यम अभी नई-नई खड़ी हुई हैं, वे इस योजना में उपलब्ध कराई गई सब्सिडी से योजना के मार्गनिर्देशों में वर्णित विधिवत् अनुमोदित तकनीक अपना सकेंगी।
- यह योजना माँग पर आधारित है जिसके लिए समग्र वार्षिक व्यय की कोई उच्चतम सीमा नहीं है।

सहायता का स्वरूप

- यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाइयों को 15% पूँजी सब्सिडी देकर उन्हें अपनी तकनीक को उत्क्रमित करने का अवसर प्रदान करती है।
- ऐसी इकाइयों में खादी, नारियल रेशे आदि से सम्बंधित छोटी-छोटी इकाइयाँ आती हैं। यदि ये इकाइयाँ इस योजना का लाभ उठाती हैं तो उनके उत्पादन में नई तकनीक के कारण बढ़ोतरी होगी और फलत: उनकी आय बढ़ेगी।
- इन इकाइयों के समृद्ध होने से उनके आस-पास के छोटे-मोटे अन्य उद्योगों को लाभ होगा और नए-नए रोजगारों का सृजन होगा।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

द हिन्दू, (14 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में वन्यजीवों से सम्बंधित भारत के प्रतिष्ठित निकाय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) ने सूचित किया है कि उसने उसके पास निरीक्षण के लिए आई हुई 687 परियोजनाओं में से 682 परियोजनाओं की अनुमति दे दी है अर्थात 99.82% परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गयी है और अगस्त 2014 से मात्र पाँच परियोजनाएँ ही निरस्त हुई हैं।

क्या है?

- यह एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना वन्यजीव सुरक्षा अधि नियम, 1972 के तहत हुई है।
- इस बोर्ड की भूमिका परामर्शी है।
- यह केन्द्रीय सरकार को देश के वन्यजीवन के संरक्षण के लिए नीतियाँ बनाने और अन्य उपाय करने के विषय में परामर्श देता है।
- इस बोर्ड का प्राथमिक कार्य वन्यजीवों और वनों के संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन देना है।
- इसके पास वनजीवन से सम्बंधित सभी विषयों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों एवं आश्रयणियों में या उनके आस-पास स्थित परियोजनाओं का अनुमोदन करने की शक्ति है।
- बिना इस बोर्ड के अनुमोदन के किसी भी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव आश्रयणी की सीमाओं में बदलाव नहीं हो सकता।

संरचना

- इस बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होते हैं। उनके अतिरिक्त इसमें 46 अन्य सदस्य होते हैं।
- इनमें से 19 पदेन सदस्य होते हैं।
- इस बोर्ड में तीन सांसद भी सदस्य होते हैं (2 लोकसभा के और 1 राज्य सभा के)।
- बोर्ड में 5 गैर सरकारी संगठन के अलावा 10 लब्ध-प्रतिष्ठ पर्यावरणवेत्ता, संरक्षणवादी और वातावरणवेत्ता होते हैं।

पहला प्रोटोन थेरेपी सेंटर

लाइव मिंट, (15 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैय्या नायडू द्वारा चेन्नई में प्रोटोन कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया गया।
- भारत में मल्टी-स्पेश्यालिटी अस्पतालों की श्रृंखला चलाने वाली अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड द्वारा प्रोटोन कैंसर सेंटर (एपीसीसी) का शुभारम्भ किया गया है।
- इससे अब कैंसर पीड़ितों को एक विशेष रूप की रेडियोथेरेपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी जो कि कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में काफी सहायक सिद्ध होगी।

Committed to Excellence

प्रोटोन थेरेपी से कैंसर का इलाज

- चेन्नई में स्थित इस सेंटर से वैश्विक स्तर की सभी व्यापक कैंसर चिकित्सा प्रदान की जाएगी।
- एपीसीसी में पीड़ितों को आधुनिकतम पेंसिल-बीम स्कैनिंग तकनीक के साथ आधुनिक मल्टी-रूम प्रोटोन थेरेपी दी जाएगी जिसमें कि सुस्पष्टता और निवारण की मात्रा सबसे अधिक होती है।
- पारम्परिक रेडिएशन थेरेपी की अपेक्षा प्रोटोन थेरेपी के लाभ कई गुना अधिक हैं, विश्वभर के 2,00,000 से भी अधिक पीड़ितों को इससे राहत मिली है।

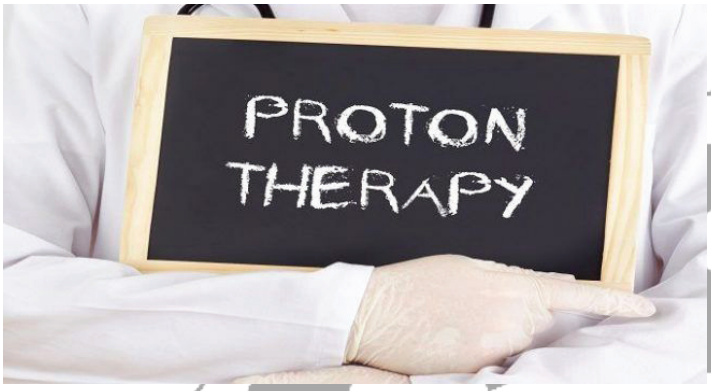

- प्रोटोन बीम थेरेपी से कैंसर चिकित्सा का सटीक जगह पर इलाज होता है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं का नुकसान कम होता है।
- कैंसर पीड़ित भी आरामदायक जीवन जी सकता है और पूरी तरह से स्वस्थ जीवन पाने की सम्भावना बढ़ती है।
- इसके दुष्प्रभाव भी कम होते हैं और अच्छे प्रभाव अधिक मात्रा में अनुभव किए जा सकते हैं।

विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन, 2019

पायनियर, (15 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में नई दिल्ली स्थित ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (The Energy and Resources Institute – TERI) द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, 2019 का आयोजन हो रहा है।

क्या है यह सम्मेलन?

- यह ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का एक वार्षिक आयोजन है।
- यह सम्मेलन 2001 में सम्पन्न दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन (DSDS) के उद्देश्यों के अनुरूप सतत विकास को वैश्विक लक्ष्य निर्धारित करने की दिशा में कार्यरत है।
- यह विकासशील जगत में उभरने वाले वैश्विक मामलों से सम्बंधित संसार का एकमात्र शिखर सम्मेलन है।
- इस सम्मेलन में संसार-भर के नेता और पेशेवर जमा होकर सार्वभौम महत्त्व की जलवायविक समस्याओं पर विचार-विमर्श करते हैं।
- यह सम्मेलन विश्व के बड़े-बड़े नेताओं और विचारकों का ऐसा मंच है जहाँ विश्व समुदाय के लाभ के लिए दीर्घकालीन समाधानों तक पहुँचने की चेष्टा की जाती है।

क्या है ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान?

- ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान एक अग्रणी विचारक समूह है जो भारत एवं वैश्विक दक्षिण (Global South) में सतत विकास के लिए अनुसंधान हेतु समर्पित है।
- इसकी स्थापना 1974 में ऊर्जा से सम्बंधित विषयों के एक सूचना केंद्र के रूप में हुई थी।
- लेकिन बाद में यह एक अनुसंधान केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हो गया जिसके द्वारा प्रस्तुत नीतियों एवं तकनीकी समाधानों के फलस्वरूप जन-जीवन और पर्यावरण में बदलाव आया।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)

Pib, (15 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) योजना का अनावरण किया।
- यह योजना 15 फरवरी से लागू हो गयी है।
- इस योजना की घोषणा अंतरिम बजट, 2019 में की गई थी।

इस योजना के लिए पात्रता

- इस योजना के पात्र 18-40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक होंगे।

- इनकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति महीने या उससे कम होनी चाहिए।
- पात्र व्यक्ति नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाभ के अंतर्गत कवर नहीं किए जाने चाहिए और उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

योजना के लाभ

- न्यूनतम निश्चित पेंशन: PM-SYM के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने 3,000 रुपये न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगा।
- परिवार पेंशन: यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु होती है तो परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी को मिलने वाले पेंशन का 50 प्रतिशत लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगा।
- परिवार पेंशन केवल जीवनसाथी के मामले में लागू होता है।
- यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है।

योजना में योगदान

- इस योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी।
- अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता/जनधन खाता से "ऑटो डेबिट" सुविधा के माध्यम से किया जाएगा।
- पीएम-एसवाईएम 50:50 के अनुपात आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और तालिका के अनुसार बराबर का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

पीएमएवाई (यू) मोबाइल एप्प

Pib, (15 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में आवास और शहरी मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप एस पुरी द्वारा 14 फरवरी, 2019 को लाभार्थियों के लिए मोबाइल एप्प आरंभ किया गया है।
- इस मोबाइल एप्प के जरिये लाभार्थी अपने परिवारों सहित पूर्ण रूप से निर्मित मकानों की तस्वीरें खींचकर उन्हें अपलोड कर सकेंगे।

विशेषताएं

- पीएमएवाई (यू) मोबाइल एप्प जारी करने के अवसर पर शहरी मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप एस पुरी ने बताया कि इस एप्प के जरिये लाभार्थी अपने मकानों के साथ सेल्फी भी अपलोड कर पाएंगे।
- इसके अलावा 30-60 सेकंड की वीडियो क्लिप के जरिये लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मकान प्राप्त करने की कहानी भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
- इस अवसर पर एक मिनट की फिल्म भी दिखाई गई जिसमें यह बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ने किस तरह लाभार्थियों के जीवन पर प्रभाव डाला है।
- मोबाइल एप्प में लाभार्थियों के लिये घर का आवेदन करने और आवेदन की प्रगति की जानकारी हासिल करने की सुविधा को भी जल्द जोड़ दिया जायेगा।

- लाभार्थी इस एप्प के जरिये यह पता कर सकेगा कि पीएमएवाई के तहत उसे आवंटित किये गये घर का कितना निर्माण हुआ है और इसके पूर्ण होने में कितना समय लगेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अभियान

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अभियान की शुरूआत 25 जून, 2015 को की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी पात्र शहरी परिवारों को 2022 तक आवास प्रदान करना है।
- योजना ने अभूतपूर्व प्रगति की है और शहरी क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ मकानों की मांग के अनुरूप 73 लाख से अधिक मकानों की मंजूरी दी है।
- लगभग 40 लाख मकान निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं और 15 लाख से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं।
- इसके अलावा लगभग 12 लाख मकान नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से निर्मित किये जा रहे हैं।

भारत और विश्व बैंक

बिजनेस स्टैण्डर्ड, (15 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा विश्व बैंक ने ग्रेटर शिमला एरिया में स्वच्छ और विश्वसनीय पेय जल लाने में मदद देने के लिए 40 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- ग्रेटर शिमला एरिया के लोग गंभीर जल संकट और जल जनित बीमारियों का सामना कर रहे हैं।
- ऋण समझौते पर केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव समीर कुमार खरे, तथा विश्व बैंक की ओर से वर्ल्ड बैंक इंडिया के कंट्री डारेक्टर जुनैद कमाल अहमद ने हस्ताक्षर किए।
- परियोजना समझौते पर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना तथा विश्व बैंक की ओर से वर्ल्ड बैंक इंडिया के कंट्री डारेक्टर जुनैद कमाल अहमद ने हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिंदु

- शिमला जलापूर्ति तथा सीवर सेवा डिलिवरी सुधार व्याहारिक विकास नीति ऋण से शिमला शहर और आसपास के इलाकों में जलापूर्ति तथा स्वच्छता की स्थिति में सुधार होगा।
- शिमला में बढ़ते शहरीकरण और गर्मी के महीने में पर्यटकों के भारी बोझ के कारण जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं की मांग बढ़ती है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह व्यापक नीति तथा संस्थागत सुधार कार्यक्रम विकसित किए हैं ताकि कारगर तरीके से सतत रूप में जलापूर्ति तथा सीवरेज सेवाओं में सुधार की प्रणाली बनाई जा सके।

- शिमला की जलापूर्ति व्यवस्था की क्षमता 40 मिलियन लीटर दैनिक (एमएलडी) है, जबकि चालू मांग 56 मिलियन लीटर दैनिक की है।
- शहरी भारत के अन्य जगहों की तरह उपलब्ध पानी का आधा हिस्सा चोरी और अनाधिकृत उपयोग के कारण खत्म हो जाता है। परिणामस्वरूप लोगों को दो दिन में एक बार पानी मिलता है।
- दो लाख की आबादी वाले शहर का 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा सीवरेज प्रणाली से नहीं जुड़ा है। स्वच्छता शिमला में सार्जनिक स्वास्थ्य का मुद्दा बन गई है।

मोस्ट फेवर्ड नेशन

टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, (15 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में पुलवामा में आतंकवादी कार्रवाई के पश्चात् भारत ने पाकिस्तान को 1996 में दिए गये मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को वापस ले लिया है और पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि यदि

वह भारत के विरुद्ध आतंकी कार्रवाई का समर्थन करता रहेगा तो ऐसे और कठोर उपाय किये जाएँगे।

क्या है?

- मोस्ट फेवर्ड नेशन वह दर्जा है जो एक देश दूसरे देश को देता है और जिसके अनुसार उन दोनों के बीच व्यापार में भेदभाव नहीं किया जाता है।
- इसके बारे में शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के तहत पहले अनुच्छेद में ही वर्णित किया गया है।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के तहत कोई सदस्य देश अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है।
- यदि किसी एक व्यापार भागीदार को विशेष दर्जा दिया जाता है तो यह दर्जा विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को मिलना चाहिए।

लाभ

- इसका दर्जा विकासशील देशों के लिए अत्यंत ही लाभप्रद होता है।
- ऐसे देशों को अपने माल के लिए बड़ा बाजार मिल जाता है तथा घटे हुए शुल्क और व्यापारिक व्यवधानों में कमी के कारण उन्हें निर्यात पर कम लागत आती है। अत: उनका व्यापार अधिक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थात् लाभकारी हो जाता है।
- इसमें नौकरशाही की अड़चनें कम हो जाती हैं और अनेक प्रकार के शुल्क के बदले सभी आयातों के लिए एक समान शुल्क लग जाता है।
- इससे व्यापार की सामग्रियों की माँग बढ़ जाती है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था और आयात प्रक्षेत्र को बढ़ावा मिलता है।
- यह व्यापार सुरक्षावाद के चलते अर्थव्यवस्था पर होने वाले दुष्प्रभाव को भी ठीक करता है।
- इससे घरेलू बाजार में भी लाभ होता है। सभी देशों के लिए एक ही प्रकार का शुल्क होने से नियम अधिक सरल और अधिक पारदर्शी हो जाते हैं।
- यह देशों के बीच अ-भेदभाव को बढ़ावा देता है, इसलिए यह कुल मिलाकर मुक्त व्यापार के लक्ष्य को भी पोषित करता है।

हानियाँ

- इससे सबसे बड़ी हानि यह है कि यह दर्जा देने वाले देश को उन सभी देशों के साथ समान व्यवहार करना पड़ता है जो WTO के सदस्य हैं।
- इसका अभिप्राय यह हुआ है कि उस देश के घरेलू उद्योग में मूल्य का युद्ध छिड़ जाता है जिससे स्थानीय व्यापार को घाटा होता है।
- बाहर से आने वाली सामग्रियाँ सस्ती होती हैं, अत: अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए घरेलू बाजार को दाम घटाना पड़ता है और फलत: आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है।

ई-टूरिस्ट वीजा

Pib, (15 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में भारत सरकार ने ई-वीजा व्यवस्था में संशोधन करते हुए इसको पहले से अधिक उदार और पर्यटकोन्मुख बना दिया है।
- एक बड़ा संशोधन यह है कि ई-टूरिस्ट वीजा अब 166 देशों पर लागू होगा जबकि 2014 में (जब यह आरम्भ हुआ था) यह 46 देशों पर लागू था।

महत्त्वपूर्ण संशोधन

- ई-पर्यटक और ई-व्यापार वीजा के अंतर्गत भारत में प्रवास की अवधि को दो महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है।
- साथ ही, विदेशी नागरिक को अधिकतम तीन बार अनुमति देने के वर्तमान प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है।

ई-पर्यटन वीजा में बदलाव

- प्रत्येक यात्रा के दौरान ई- वीजा पर निरंतर प्रवास अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों को छोड़कर ई-वीजा प्रदान किए जाने के पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में 90 दिनों से अधिक नहीं होगा।
- अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- सभी मामलों में पंजीकरण की जरुरत नहीं होगी।

ई-व्यापार वीजा में बदलाव

- ई-वीजा प्रदान किए जाने के लिए पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के समय निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 180 दिनों से कम अवधि के प्रवास पर किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

अन्य परिवर्तन

- ई-वीजा 2 (दो) और नामित हवाई अड्डों (भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर) के माध्यम से प्रवेश के लिए वैध है, ऐसे हवाई अड्डों की कुल संख्या बढ़ा कर 28 कर दी गई है।
- सामान्य ई-पर्यटन वीजा या पर्यटन वीजा के तहत डेस्टिनेशन वेडिंग में भाग लेना - डेस्टिनेशन वेडिंग वीजा की कोई भिन्न श्रेणी नहीं।
- भारत में प्रवास के दौरान बीमार पड़ने वाले विदेशी नागरिक अब अपने वीजा को मेडिकल वीजा में बदलाव किए बिना चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं।
- कोरिया गणराज्य के नागरिकों को आगमन-पर-वीजा सुविधा प्रदान की गई।

पहली जिला शीतलीकरण प्रणाली

इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, (15 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में भारत का पहला जिला शीतलीकरण प्रणाली लगाई जा रही है।

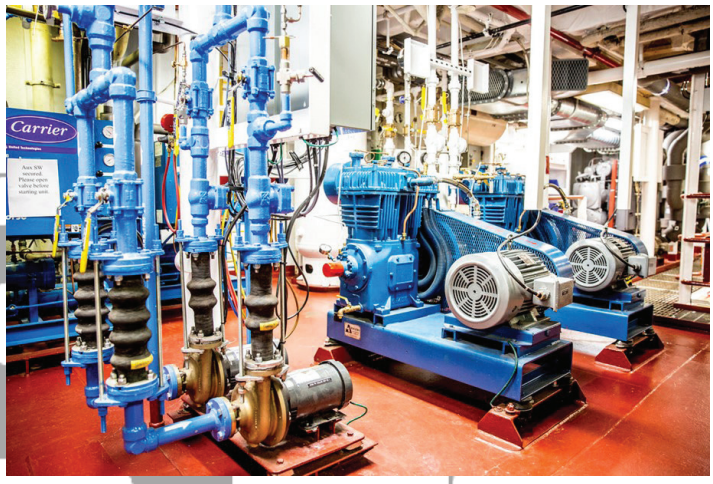

क्या है?

- जिला शीतलीकरण प्रणाली के अन्दर एक केन्द्रीय स्थान पर ठंडा पानी, भाप अथवा गर्म पानी का उत्पादन होता है।
- इसके बाद इन सब को जमीन के अन्दर-अन्दर अथवा छतों के ऊपर-ऊपर पाइप द्वारा कई भवनों तक ले जाया जाता है जिससे वहाँ वातानुकूलन उष्मीकरण और पानी गर्माने की सुविधा मिल सके।
- इस प्रणाली के अन्दर अलग-अलग भवनों को अपना अलग-अलग वातानुकूलन मशीन, ठंडा करने की मशीन, पानी उबालने की मशीन अथवा भट्ठियाँ लगाने की आवश्यकता नहीं होती।
- जिला शीतलीकरण प्रणाली लागत की दृष्टि से भी सुविधाजनक है। साथ ही यह विश्वसनीय, लचीली और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ भी होती है।
- यदि शीतलीकरण की अन्य प्रणालियों से तुलना की जाए तो जिला शीतलीकरण प्रणाली में ऊर्जा की खपत 50% कम होती है।
- यह प्रणाली कार्बन उत्सर्जन भी कम करती है।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसकी स्थापना 1993 में की गयी थी।
2. वर्तमान में इसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. 'साख से संबद्ध पूंजी सब्सिडी एवं तकनीक उत्क्रमण योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाइयों को 15% पूंजी सब्सिडी देकर उन्हें 51 विशेष रूप से निर्दिष्ट उत्पादों में उन्नत तकनीक के प्रयोग के लिए सुविधा प्रदान करना है।

World Committed To Excellence

2. यह योजना माँग पर आधारित है, जिसके लिए समग्र वार्षिक व्यय की कोई उच्चतम सीमा नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के तहत हुई।
2. इस बोर्ड का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते है।
3. इस बोर्ड का प्राथमिक कार्य वन्यजीवों और वनों के संरक्षण के विकास को प्रोत्साहन देना है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

4. हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला प्रोटोन कैंसर थैरेपी सेंटर खोला गया है?

(a) तमिलनाडु (b) नई दिल्ली
(c) केरल (d) राजस्थान

5. 'विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन, 2019' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसका आयोजन नई दिल्ली में स्थित ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा किया जा रहा है।
2. ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान की स्थापना 1974 में ऊर्जा से संबंधित विषयों के एक सूचना केन्द्र के रूप में हुई थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

6. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (Pm-SYM) योजना के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है?

(a) इस योजना की घोषणा अंतरिम बजट, 2019 में की गयी।
(b) इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के लोग शामिल होंगे।
(c) इस योजना में शामिल होने की आयु से 60वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी।
(d) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के पश्चात् प्रति महीने 2000 रूपये न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगी।

7. 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अभियान' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसकी शुरूआत 25 जून, 2015 को की गयी थी।
2. इस योजना का उद्देश्य सभी पात्र शहरी परिवारों को 2025 तक आवास उपलब्ध कराना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

8. हाल ही में भारत ने विश्व की किस संस्था के साथ हिमाचल प्रदेश के ग्रेटर शिमला एरिया में स्वच्छ और विश्वसनीय पेय जल लाने में मद्द देने के लिए 40 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है?

(a) विश्व बैंक (b) एशियाई बैंक
(c) ब्रिक्स बैंक (d) इनमें से कोई नहीं

9. 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसका दर्जा देने वाले देश को विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों के साथ व्यापार भागीदारी में समान व्यवहार करना पड़ता है।
2. यह दर्जा देने वाले देश और प्राप्त करने वाले देश के बीच व्यापार में भेदभाव नहीं किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नवंबर, 2014 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा ई-टूरिस्ट वीजा योजना की शुरूआत की गयी।
2. ई-पर्यटक और ई-व्यापार वीजा के अंतर्गत भारत में प्रवास की अवधि को दो महीने से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

11. हाल ही में भारत के किस राज्य में 'पहली जिला शीतलीकरण प्रणाली' लगाई गयी है?

(a) आंध्रप्रदेश (b) उड़ीसा
(c) राजस्थान (d) मध्यप्रदेश

नोट : 11-13 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(c), 3(c), 4(b), 5(c), 6(a), 7(a), 8(a) होगा।